न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 02/2022 — निर्णय दिनांक 02.03.2022

प्रेम कंवर पत्नी दशरथ सिह जाति राजपूत निवासी पुन्दलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. मूलसिह पुत्र हीर सिंह जाति राजपूत निवासी लखासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी

2. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1

2. पेराकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.ए व 136 राज. लैण्ड रेवन्यु एक्ट

यह वाद प्रेम कंवर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादिनी की खरीद शुदा खातेदारी का खेत खसरा नंबर 226/132 तादादी 1.0100 हैक्टेयर वाकेरोही गजपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। खसरा नंबर 226 /132 की भूमि पुराने खसरा नंबर 144/94 मीन का भाग रही है जिसका राजस्व मिलान क्षेत्रफल दावा के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादिनी ने अपनी खातेदारी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2007 को खरीद की थी। वादिनी की खरीद शुदा भूमि के आसे पासे निम्न प्रकार से हैः—

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
शेष भूमि खसरा नंबर 144/94	राष्ट्रीय राजमार्ग 11	बालूराम नायक का खेत	रामातारसिंह व डूंगरगसिंह का खेत

वादिनी ने खेत खसरा नंबर 132 जिसके पुराने खसरा नंबर 144/94 मीन तादादी 5 बीघा 15 बिस्वा रहे है में से 4 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मूलसिह पुत्र हीरसिह जाति राजपूत निवासी लखासर से खरीद की है। विक्रय पत्र अनुरूप ही वादिनी ने मौका पर कब्जा प्राप्त किया है तथा लगातार वादिनी का अपनी खरीद शुदा भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है। राजस्व अक्स संवत 1956—60 में खसरा नंबर 144/94 की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 के उतर में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा नंबर 226/132 है जो वर्तमान राजस्व अक्स मे राष्ट्रीय राजमार्ग के समान्तर छोटे रूप में तरमीम किया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा नंबर 225/132 तादादी 0.2290 [illegible] खेत के उतरी तरफ बडे रूप में राजस्व अक्स में दर्शित किया गया है जो [illegible] के अनुसार सही नही है प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे मे उसकी [illegible] में काफी बडा दर्शित किया गया है कि जबकि वादिनी के पास 4 बीघा जमीन है जिसका राजस्व अ[illegible] काफी छोटा दर्शित किया गया है। पूर्व राजस्व अक्स खसरा [illegible] 144/94 रोही गजपू[illegible] भूमि पर वादीनी अपने विक्रय पत्र के अनुसार खरीद शुदा 4 बीघा भूमि (जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 के उतर मे स्थित है) पर काबिज चली आ रही है वादीनी को अपनी भूमि पर ऋण आदि लेने के लिए राजस्व दस्तावेजो की नकले दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त की तो प्रथम ब

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:20:11 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी को जानकारी हुई की उसकी खातेदारी के खेत खसरा नंबर नंबर 226/132 का राजस्व अक्स में रकबा छोटा दर्शाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गलत तरमीम किया गया है। वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 1 को आपसी सहमति से नक्शा अक्स में उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि इसमे मेरी कोई गलती नहीं है तहसील वालो ने राजस्व अक्स मे गलत अंकन किया है आप तहसील मे कार्यवाही करो मेरी पूर्ण सहमति रहेगी फिर वादिनी ने तहसील कार्यालय जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से दिनांक 29.09.2021 को निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर लाओ तभी हम नक्शा अक्स मे तरमीम/दुरूस्त करेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करने से दिनांक 29.09.2021 को इन्कार कर दिया है यही वादिनी का वादाधार व वादकरण प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 29.09.2021 को प्राप्त हुआ है। प्रतिवादीगण ने सांठ गांठ कर बिना मौका जांच किये बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश कके वादिनी की खरीद शुदा भूमि को राजस्व रिकार्ड के अक्स में बाला बाला ही गलत यानि रकबा के अनुसार तरमीम नहीं किया व प्रतिवादी संख्या 1 का खेत रकबा कम होने के बावजूद नक्शा अक्स में काफी बढा दर्शित कर दिया है जो शुरू से ही गलत व विधि विरूद्ध अंकन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किये गये गलत इन्द्राज से वादिनी को अपूर्णनीय क्षति हुई है तथा वादिनी का राजस्व अक्स में गलत रूप से तरमीम की कार्यवाही को शुन्य घोषित करवा कर वादिनी ने अपनी खातेदारी भूमि के खेत खसरा नंबर 216/132 के राजस्व अक्स की तरमीम अपने विक्रय पत्र मौका कब्जा काश्त के अनुसार सीमा कायम करवा कर व नक्शा अक्स 1.0100 हैक्टेयर तादादी के अनुसार दुरूस्ती करवाने की अधिकारिणी है जिसके लिए यह घोषाणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिनी वादगत खेत की खातेदार काबिज काश्तकार है। वादिनी के खरीद शुदा खेत का राजस्व अक्स में रकबा छोटा दर्शित होने से वादिनी को अपने खेत में ट्यूब वैल बनाने व अपने खेत में सुधार व विकास कार्य करवाने में बाधा उत्पन्न हो रही है व वादिनी को भारी नुकसान हो रहा है । प्रस्तुत दावा रिकार्ड दुरूस्ती व घोषाणात्मक अनुतोष का है। प्रतिवादीगण वादिनी को कथित गलत राजस्व अक्स की आड मं बेदखल करने पर आमदा है। राज्यसरकार के विरूद्ध घोषाणात्मक अनुतोष के लिये धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण गलत राजस्व अक्स की आड में वादिनी को उसके वास्तविक कब्जा उपयोग उपभोग से वंचित करने की मंशा रखते है अगर धारा 80 सी.पी.सी. का दो माह नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण वादिनी को वादगत खेत से वंचित कर देगे इसलिए वादिनी का दावा अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस प्रावधान की छूट बाबत धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर न्यायालय का आज्ञा से दावा प्रस्तुत किया गया है। वादगत खसरा भूमि ग्राम गजपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित होने व वादिनी के निवास स्थान के आधार पर दावा श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। प्रस्तुत दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। वादिनी का दावा हर तरफ से पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवदेन है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित कर यह आदेशित किया जावे कि वो खेत खसरा नंबर 226/132 तादादी 1.0100 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही गजपूरा के राजस्व अक्स में वादिनी के मौका कब्जा (विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2007) के अनुरूप भूमि का वर्तमान राजस्व अक्स में वादिनी के नाम रकबा तरमीम घोषित करें।

(ख) कि खेत खसरा नंबर 226/132 तादादी 1.01 हैक्टेयर वाकेरोही गजपूरा के वर्तमान राजस्व एक्स में गलत रूप से की गई तरमीम को विधि विरूद्ध घोषित किया जावें ।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी उत्पन्न हो प्रतिवादी से दिलाया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:20:11 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन त[illegible] किय गया । प्रतिवादी सख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय इकबाल[illegible] राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेराकाराज ने जवाब पेश कि[illegible] क्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपति नही होने व वादी वाद स्वीकार र[illegible] ने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निर्णय

रोही ग्राम गजपुरा के खेत खसरा नंबर 226/132 तादादी 1.0100 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अक्स में वादिनी के मौका कब्जा (विक्रय पत्र) के अनुरुप भूमि को वर्तमान राजस्व अक्स मे तरमीम शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिंनाक 2.3.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर मे से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:20:11 IST
Reason: SelfAttested